संख्या-3/2017/266/का-2/2017

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 01 मई, 2017

विषय:- विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राज्याधीन लोक सेवाओं में समूह-क, ख, ग एवं घ के पदों पर सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या- 18/1/2008-का-2-2008 दिनांक 03.02.2008 में यह व्यवस्था की गई थी कि समूह-क, ख, ग एवं घ के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में 03 प्रतिशत रिक्तियॉ, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेगी तथा समूह-घ और ग के पदों पर, जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, पदोन्नति के मामले में 03 प्रतिशत रिक्तियॉ विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेगीं।

2. कालांतर में मा. उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में पारित निर्णय के अनुपालन में शासनादेश संख्या-7/18/1/2008/का-2/2015, दिनांक 28.07.2015 द्वारा उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप, दिनांक 03.02.2008 के प्रस्तर-1(II) में संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था की गई :-

"समूह- क, ख, ग एवं घ के पदों पर, जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, पदोन्नति के मामले में 03 प्रतिशत रिक्तियॉ विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेगीं, जिसमें 01-01 प्रतिशत रिक्तियॉ (I) दृष्टहीनता या कम दृष्टि (II) श्रवण ह्रास और (III) चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए, उन विकलांगताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों में आरक्षित होगी।"

3. शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03.02.2008 एवं शासनादेश दिनांक 28.07.2015 का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

4. इस सम्बन्ध में दायर रिट याचिका संख्या-4832/2003(एम.बी.) नेशनल फेडरेशन आफ दी ब्लाइंड बनाम स्टेट आफ यू..पी. एण्ड अदर्स में दिनांक 17.04.2017 को मा. उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान आदेश पारित किए गए है, जिसके क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

At the moment, the grievance of petitioner is that though the State Government has taken a decision by amending the Government Order dated 03.02.2008 but till date benefit of the said amendment has not been given effect.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Shri H.P. Srivastava, learned Standing counsel prays that he may be granted ten days time to place on record the action taken in pursuance to the Government order dated 28.07.2015 as well as place on record the persons promoted in different categories pursuant to the Government order dated 03.02.2008.

5. मा. उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आगामी सुनवाई की तिथि 03.05.2017 को मा. न्यायालय में उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03.02.2008 एवं शासनादेश दिनांक 28.07.2015 के क्रम में विकलांगजन हेतु चिन्हित पदों पर की गई नियुक्ति/प्रोन्नति की ऐक्शन टेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

अत: कृपया उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03.02.2008 एवं शासनादेश दिनांक 28.07.2015 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उसके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण कार्मिक विभाग को अति शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राहुल भटनागर
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।